न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

सूचना का अधिकार अपील 10/2024

अपीलांटः–	बनाम	रेस्पोडेंट :–
मनीष अन्याव पुत्र श्री नवरतन अन्याव, बालोतरा		उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

आदेश

दिनांक 07.05.2024

अपीलार्थी श्री मनीष अन्याव पुत्र श्री नवरतनजी अन्याव जाति ओसवाल निवासी वर्धमान आर्दश विद्या मंदिर स्कुल के पास बालोतरा ने प्रथम अपील उतरदाता उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई।

रेस्पोडेंट द्वारा सुनवाई तिथि को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनिमय आवेदन के तहत तत्कालीन जिला कल्क्टर महोदय बाडमेर को प्रेषित पत्र क्रमांक/राजस्व/2018/3136 दिनांक 05.10.2018 के संलग्न सभी दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु सूचना मांगी गई थी। कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/368 दिनांक 18.04.2024 को संबंधित पत्र/पत्रावली अपने–अपने शाखा में उपलब्ध रेकर्ड में गहन तलाशी/खोज हेतु कार्यालय हाजा के समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया गया था। कार्यालय हाजा के राजस्व शाखा, राजस्व कोर्ट, न्यायिक, निवाचन, वसूली, सहायकता, संस्थापन/भंडार सभी शाखाओं के प्रभारी से लिखित रिपोर्ट अनुसार उक्त पत्रांक 3136 दिनांक 05.10.2018 से संबंधित पत्र तलाशी/खोज के दौरान नहीं पाये गये है। अपीलार्थी की उक्त अपील अस्वीकार कर प्रकरण खारिज जाए। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावे। अपीलार्थी स्वयं अनुपस्थित।

हमने प्रस्तुत अपील, राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई सूचना उपखण्ड कार्यालय बालोतरा के पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/368 दिनांक 18.04.2024 के अनुसार कार्यालय में तलाश करने पर भी उक्त सूचना संबंधित दस्तावेज नहीं मिलने के कारण सूचना उपलब्ध करवाना संभव नहीं होता। इसके अलावा भी चाही गई सूचना अपीलार्थी द्वारा प्राप्त करना जरूरी मानते हैं तो अपीलार्थी कार्यालय के नियत समय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर विनिश्चय पेश करते हुए उपखण्ड कार्यायल बालोतरा में उपलब्ध सूचना का चिहनीकरण कर सूचना प्राप्त करे।

अतः अपीलार्थी की यह अपील खारिज की जाकर पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 07.05.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा